-1-

131

COURT FEE INDIA भारत पाँच रुपये FIVE RUPEES 5 Rs.

COURT FEE INDIA भारत पाँच रुपये FIVE RUPEES 5 Rs.

COURT FEE INDIA भारत पाँच रुपये FIVE RUPEES 5 Rs.

-15/-

न्यायालय: माननीय मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल, ग्वालियर, म0प्र0

R 2042-III/06

प्रकरण क्रमाँक: /2006 निगरानी माल

1- नारायणसिंह पुत्र श्री कमलसिंह भोई,
2- राजू पुत्र कमलसिंह भोई,
निवासीगण-- ग्राम मूँडराक्ला, तहसील चन्देरी,
जिला अशोकनगर, म0प्र0

------आवेदकगण

बनाम

म0प्र0 शासन ---- अनावेदक

श्री बी.डी. शर्मा एड. द्वारा आज दि० 31-10-06 को प्रस्तुत।
31/10/06
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

B.D. Sharma Advocate 31-10-06

31-10-06

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता विरुद्ध आदेश दिनाँक 26-6-06 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर, प्रकरण क्रमाँक 245/05-06/अपील व उनवान नारायणसिंह आदि बनाम म0प्र0 शासन .

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से निगरानी निम्नप्रकार प्रस्तुत है:-

:: प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य ::

1- यहकि, आवेदकगण ने अधीनस्थ विचारण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी चन्देरी के न्यायालय में एक आवेदनपत्र म0प्र0 भू-राजस्व संहिता की धारा 57(2) के अन्तर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि ग्राम मूँडराक्ला, स्थित भूमि सर्वे क्रमाँक

AXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

जिला – अशोकनगर

प्रकरण क्रमांक R-2042–तीन/06

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21.6.16	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 245/05–06/अपील में पारित आदेश दिनांक 26–6–06 विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है । जिसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील को प्रचलन योग्य न मानकर अस्वीकार किया गया है । 2/ प्रकरण में दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क सुने गय । आवेदक की ओर से यह तर्क दिया गया है कि उनके द्वारा विचारण न्यायालय में संहिता की धारा 57 (2) के तहत व्यवस्थापन का आवेदन दिया गया । इस पर से अनुविभागी अधिकारी ने व्यवस्थापन के आदेश विधिवत कार्यवाही करने के उपरांत दिये । कलेक्टर द्वारा प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लेकर अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त किया गया । जिसके विरूद्ध आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय में अपील की । अपील पर सुनवाई के दौरान आवेदक ने मौखिक निवेदन पर अपील को निगरानी में परिवर्तित का अनुरोध किया, जिसे अनदेखा करते हुए अपर आयुक्त ने आवेदक की अपील को निरस्त करने में त्रुटि की गई है । 3/ अनावेदक शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया गया आवेदक द्वारा कोई आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में अपील को निगरानी में परिवर्तित करने हेतु नहीं दिया गया है । अतः अधीनस्थ	

R - 2042 - III/06 (अशोकनगर)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

न्यायालय का आदेश उचित है ।

4/ उभयपक्षों के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का तथा आलोच्य आदेश का अवलोकन किया । अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक के पक्ष में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा किए गए व्यवस्थापन को कलेक्टर ने स्वमेव निगरानी में लेकर निरस्त किया गया था, अतः उक्त आदेश अपीलीय न होकर निगरानी योग्य था किंतु आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपील की गई जिसे अपर आयुक्त ने प्रचलन योग्य न मानकर निरस्त किया है । आवेदक अधिवक्ता का यह कहना कि उनके द्वारा मौखिक निवेदन अधीनस्थ न्यायालय में अपील को निगरानी में परिवर्तित करने हेतु किया गया था, स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि अपर आयुक्त ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि आवेदक के अधिवक्ता द्वारा मौखिक या लिखित रूप से अपील को निगरानी में सुनने बावत कोई मांग नहीं की गई है, ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का जो आदेश है उसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है ।

परिणामतः यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाता है । उभयपक्ष सूचित हो एवं अभिलेख वापिस हों ।

सदस्य